IJAER/May-June 2021 /Volume-10/Issue 6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986,) के प्रमुख प्रावधान

अरविंद पारीक
शोध छात्र
लॉ संकाय
महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर

डॉक्टर मणि कुमार मीणा
शोध निर्देशक
लॉ संकाय
महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर

सार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता अधिकारों की एक श्रृंखला की गणना करता है और राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता परिषद की स्थापना की उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में। हालांकि उपभोक्ता अधिकारों का प्रवर्तनऔर संरक्षण संतोषजनक से बहुत दूर रहा है। भारत का संविधान, भाग . में मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला की भी गणना करता है:उपभोक्ताओं के अधिकारों और न्याय की सुरक्षा।

मुख्यशब्द. *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, राज्य. जिला स्तर*

प्रस्तावना

जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अतरू हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से इन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोगकर्ता भी उपभोक्ता है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, उपभोक्ता विचार वैदिक युग (5000 ईसा पूर्व– 2500 ईसा पूर्व) से पहले के हैं। भारत में वैदिक युग सांस्कृतिक विकास का एक गौरवशाली काल था। वेदों में नागरिक अधिकारों और आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों की विस्तृत चर्चा की गई है। चार व्यापक प्रकार के प्रासंगिक आपराधिक अपराध प्राचीन काल में प्रमुख थेरू

1. भोजन की मिलावट – सामान।
2. कीमतों से अधिक चार्ज करना
3. वजन और माप का निर्माण
4. निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री

इन सभी अपराधों के लिए समय–समय पर प्रमुख ग्रंथों द्वारा वैधानिक उपायों और दंड की सिफारिश की गई थी। उस समय के कुछ प्रमुख ग्रंथ थे.मनु स्मृति (800 ईसा पूर्व– 600 ईसा पूर्व)

1. **कौटिल्य का अर्थशास्त्र (400 ईसा पूर्व– 300 ईसा पूर्व)** – कौटिलिया ने अर्थशास्त्र लिखा था अर्थशास्त्र पर एक ग्रंथ। उनका काम महान योग्यता और मौलिकता का है और इसमें उत्कृष्ट विचार की सामग्री शामिल है। कौटिलिया ने आर्टगस्गास्त्र नइ इ मामहंइज ेजजाम लिखा। वह प्रशासनिक कानून, नागरिक कानून, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित है।

2. **याज्ञवलिका स्मृति (300 ई.– 100 ईसा पूर्व)** – यह बहुत व्यवस्थित है और हिंदू कानून के साथ–साथ व्यवहार (व्यवहार) और एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों के क्षेत्र में एक अधिकार माना जाता है।

3. **नारद स्मृति (100 ।क–200 ।क)** – इसने दीवानी और आपराधिक कानून के चौनलों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है।

4. **बृहस्पति स्मृति (200 ई. – 400 ई.)** – यह दीवानी और फौजदारी कानून का विस्तृत विवरण देती है। इसमें अपराधों का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख है और कानून के उल्लंघनकर्ताओं पर

लगाए जाने वाले दंड और दंड का भी उल्लेख है।

5. **कात्यायन स्मृति (300 ई.–600 ई.)** – यह व्यापक रूप से पर्याप्त और प्रक्रियात्मक कानून के साथ–साथ साक्ष्य के नियमों से संबंधित है। इसमें न्यायिक परीक्षण की निंदा करने वाले कई अन्य मामलों का भी उल्लेख है।

किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी – चाहे वह नकली सोना या मिलावटी वस्तु या अशुद्ध मांस बेचना हो, अपराध माना जाता था और अपराधी को कड़ी सजा दी जाती थी। मनु

स्मृति और याज्ञवलिका स्मृति अपंगता को एक दंड के रूप में स्वीकार करती हैं। अर्थशास्त्र और याज्ञवलिकास्मृति में भी मिलावट का कदाचार और अपराध के लिए दंड का उल्लेख है। अनाज, वसा, औषधि, इत्र, नमक, चीनी में मिलावट के लिए कड़ी सजा दी जाती थी। बृहस्पतिस्मृति के अनुसार घटिया गुणवत्ता या नकली सोने और रत्नों का निर्माण भी दंडनीय था। नकली वस्तुओं के निर्माताओं को भी कड़ी सजा दी गई। दोषपूर्ण तराजू का उपयोग और बाट और माप का निर्माण प्राचीन काल में भी व्यापारिक समुदाय के बीच एक सामान्य आपराधिक प्रवृत्ति थी। मनु स्मृति में यह प्रावधान था कि राजा द्वारा सभी बाटों और मापों को विधिवत चिह्नित किया जाना चाहिए और हर छह महीने में फिर से जांच की जानी चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार वजन और माप के निर्माण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वजन और माप के एक अधीक्षक को नियुक्त किया गया था। निरंतर निगरानी और समय–समय पर जाँच अपरिहार्य थी।

विषय.

1) भारत में उपभोक्ता संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986,)

3) उपभोक्ता की स्थिति

स्वतंत्रा पूर्व (ब्रिटिश शासन काल) में उपभोक्ता की स्थिति

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रथम विश्वयुद्ध के कारण वस्तुओं के अभावों की पूर्ति और बाजार पर नियंत्रण के लिए भारत में कोई विशेष व्यवस्था नहीं बनायी गयी थी। लेकिन उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया। उपभोक्ता सहकारी समितियों का विस्तार के लिए अवश्य प्रोत्साहन मिला। 1626–30की व्यापक आर्थिक मन्दीका प्रभाव काफी समय तक बना रहा। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्ण निर्धनता अधिक होने के कारण मांग कम रहती थी। जिससे वस्तुओं की कमी का आभाव नही होता था। उपभोक्ता जैसे तैसे आभावों में भी गुजारा कर लेते थे। फल स्वरूप जमाखोरी और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन नही मिल पाता था और ना ही उपभोक्ताओं के हित में कोई विशेष पहल की गयी थी।

"किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में ही आवश्यकत वस्तुओं का अभाव उत्पन्न होने के कारण उनके मूल्यों में अप्रव्याश्रित वृद्धि होने लगी। इस स्थिति से निपटने के लिए और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य का वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में सरकार द्वारा प्रथम बार सार्वजनिक वितरण–व्यवस्था का प्रारम्भ फेवर प्राइस शाप के रूप में बम्बई में 1636 में किया गया। 1643 के बंगाल अकाल के कारण भारत को गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पड़ा। इस दिशा में प्रथम बार सरकारी तौर पर उपभोक्ताओं के हित में कोई कठोर कदम उठाया गया। जिस कारण प्रथम खाद्य नीति समिति 1643 की स्थापना प्रथम मूल्य नियंत्रण सम्मेलन में की गयी जिसकी सिफारिशों के आधार पर खाद्यान्न के समान वितरण के लिए राशनिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। अगस्त 1647 में 54 मिलयन लोग विधिवत् रूप से राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत आ गये थे और 60मिलियन लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न स्वरूपों में शामिल थे। 14 इंग्लैण्ड में भी द्वितीय विश्व युद्ध काल में अस्थायी रूप में उपभोक्ता सहकारी समितियों को अपनाया गया था। भारत में भी ब्रिटिश शासन ने खाद्यान्नों के अभावों की दशा में उत्पादन, व्यापार और वितरण में हस्तक्षेप (नियंत्रण) की नीति को स्वीकार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी युद्ध अकाल वाद आदि के कारण अभाव में उपभोक्ता सार्वजनिक समिति की व्यवस्था का सहारा राशनिंग आदि के रूप में समय–समय पर किया जाता रहा है। अभावों के समय सरकार जहाँ निजी विक्रेताओं को उचित मूल्य पर वितरण के लिए संचेत रहती है। वही उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाती है। इस आशय से 1636 ई0से 1683 तक भारत में उपभोक्ता सहकारी संघ प्रणाली के स्वरूप, आकार और संरचना की दृष्टि से अनेक स्वाभाविक परिवर्तन आते रहे।

यद्यपि भारत में 1604 में उपभोक्ता आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था परन्तु इससे सम्बन्धित अधिनियम सर्वप्रथम 1630से बनाये गये – 1. अनिष्कर मादक द्रव्य अधिनियम, 16302. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चित्रांकन) अधिनियम 1637 3. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1640ये सभी अधिनियम ब्रिटिश काल में बनाये गये ।

स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उठाया गया कदम –

स्वतंत्र भारत में अनेक समस्या थी यहाँ की शोषित व अत्याचारी सही जनता को शोषण रहित व भय मुक्त समाज में जिने का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ष्भारत सरकार ने खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में हस्तक्षेप की नीति को अग्रलिखित कर उसे अपनाया। प्रथम तो देश बहुत गरीब है। दूसरे आर्थिक विकास की गति धीमी है और उनका लाभ केवल मध्यम और उच्च वर्ग को प्राप्त होता है। निर्धन वर्ग उससे अछूता रह जातः है। तीसरे खाद्यान्न का सूखे आदि के कारण पर्याप्त अभाव रहता है। चौथे, कृषि उत्पादन की दृष्टि से पर्याप्त क्षेत्रीय विषमता है। पाचवें वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में उतार आते रहते है। इनके अतिरिक्त, निजी व्यापारी असामाजिक शोषण पूर्ण गति विधियों में संलग्न रहते हैं। स्वातन्त्रोत्तर काल में साधन नीति के द्वारा खाद्यान्न के मूल्यों में स्थिरतरू के प्रयत्न किये गये जिससे एक ओर उत्पादक को अपने उत्पाद का सही मूल्य

मिल सके और दूसरी ओर उपभोक्ताओं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के हितो का संरक्षण हो सके यही उपभोक्ता संरक्षण का मूलहै।18

भारत जैसे देश में, जहाँ आबादी की लगभग 80प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है एवं जहाँ साक्षरता नही के बराबर थी उपभोक्ता को अशिक्षित एवं असंघटित ही कहा जायेगा और अपने हितों सुविधाओं तथा अधिकारों के प्रति अज्ञानी था, इसी कारण उनमें सौदा करने की भावना नहीं के बराबर थी। वे ज्यादातर व्यापारियों के बहकावे में आ जाया करते थे। व्यापारी अपनी नैतिकता खो चुके थे इस लिए वे उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा शोषण करने में लगे रहते थे। उपभोक्ताओं के बचाव के लिए स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1650में अधिनियम बनाया गया। इससे पहले, बनाये गये सभी अधिनियमि ब्रिटिश काल के थे। जो अधिनियम अधिक प्रभावित नही हो पायी इसलिए स्वतंत्रत भारत में निम्न अधिनियम उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने हेतु बनाये गये –

1) सम्प्रतीक तथा नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950

2) औषध नियन्त्रण अधिनियम 1950

3) वाट तथा माप मानक अधिनियम, 1952

4) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952

5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

6) व्यापार तथा पश्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958

7) कृषि उत्पाद अधिनियम 1961

8) आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम 1968

9) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम 1966

10) . उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ।

ये सभी अधिनियम उपभोक्ता हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अधिनियम की कड़ी है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की पृष्ठभूमि –

उपभोक्ताओं के अधिकारों से सम्बन्धित विचार सर्व प्रथम विश्व में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ0मैनेकी के मन में आया। इसी लिए अमेरीका को उपभोक्ता वाद का जन्म स्थान कहाँ जाता है। विकसित देशों में उपभोक्ता निश्चित रूप से विकाशशील देशों के उपभोक्ताओं से अधिक जागरूक है। 15 मार्च 1662 एक सन्देश में अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जान एफ0कैनेडी ने उपभोक्ताओं से

सम्बन्धित अधिकारों को बतया तथा बाद में 1665 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन जानसन ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के स्थापित तथा सुस्थापित किया। अन्य देश जापान, फ्रान्स, इंग्लैण्ड तथा कनाड़ा जैसे विकसित राष्ट्रों में उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता (60) साठ के दशक में ही आयी जिसके कारण इन राष्ट्रीय सरकारों ने उसके सम्बन्ध में इन राष्ट्रो के उद्योगपतियों, उत्पादों तथा विचारकों को सावधान करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यापन का निर्माण भी किया।

वर्ष 1982 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रामभा0म्हाणजी ने लोक सभा में उपभोक्ता सरंक्षण से सम्बन्धित निजी विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया परन्तु श्री म्हाणजी के निधन के कारण यह विधेयक चर्चा हेतु लोकसभा में न आ सका।

वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निर्माण के प्रयोजन से श्री विन्दु माधव जोगी जी तथा एडवोकटे मुदड़ा से परामर्श किया तथा 1984 में एक उपभोक्ता संरक्षण विधयेक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत किया परन्तु उसी समय भोपाल गैस काण्ड तथा इन्दिरा गांधी हत्या काण्ड जैसी दुखद घटनाए घटी तथा विधेयक पारित न हो सका।

वर्ष 1985 में अखिल भारतीय ग्राह्य पंचायत के संस्थापक श्री बिन्दु माधव जोशी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलकर उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया इन्होंने तत्कालीन नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हरिकिशन लाल भगत को इस दिशा में कार्य करने को कहा श्री भगत ने ग्राह्य पंचायत द्वारा बनाया गया प्रारुप मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के पारित होने के पूर्व 20जनवरी 1986 को नयी दिल्ली में एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया

गया। इस अधिवेशन में राज्य सरकार, स्वयं सेवी उपभोक्ताओं में संगठन तथा केन्द्रिय मंत्रीयों तथा केन्द्रिय विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अन्तर मंत्रीय बैठकों में इस अधिवेशन की संस्तुतियों तथा इस श्रेणी में काम कर रहे श्री बिन्दु माधव जोशी तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के सुझावों पर विचार किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा इस विषय में अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड में विद्यमान व्यवस्थाओं पर विचार किया गया तथा हमारे सामाजिक परिवेश में उपयुक्त मार्ग दर्शनों का आध्ययन किया गया और इन सब विचार मंथनों के पश्चात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ढाचा तैयार किया गया। दिनांक 6 दिसम्बर, 1986 की तत्कालीन संसदीय कार्य एवं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया। 24 दिसम्बर सम्बन्ध, लोक सभा ने यह अधिनियम पारित कर दिया तथा 26 दिसम्बर 1986 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसे 1986 के 68वें अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया गया।

उपसंहार

भारत जैसे उन्नतशील देश में पिछले कई वर्षों में उपभोक्तावाद में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ इस बात की ओर ध्यान गया है कि उन्हें प्रयोगार्थ जो वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध होती हैं अथवा सेवाएँ मिलती हैं उनकी त्रुटियों के निवारण हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । जैसे–जैसे विभिन्न वस्तुओं के लिए लोगों की मांग बढ़ी है वैसे–वैसे शुद्धता मात्रा व गुणवत्ता आदि में दोष अथवा कमी की ओर भी उनका ध्यान जाने लगा । इस अधिनियम का उददेश्य उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना है । इसके उपबन्धों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है । इस अधिनियम में उपभोक्ता की शिकायतों की शीघ्र सरल तरीकों से तथा कम खर्चे में दूर करने की व्यवस्था है यह अधिनियम भी उपभोक्ता की सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान नही कर पाता है क्योकि व्यक्ति को मदद तभी मिल पाती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 2002 के संशोधन के बाद प्रदाता उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है

सन्दर्भ

1. हेनी सैदा फ्लोरा, चिकित्सा के शिकार पर कानूनी संरक्षणकदाचार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, वॉल्यूम।13, अंक 4 (अगस्त), आईएसएसएन 2289–1552

2. डॉ जेके राजू, श्री आसिफुल्ला ए, (2013) ने अपने शोध पत्र ष्उपभोक्ता संरक्षणष मेंअधिनियम, 1986रू मुद्दे और चुनौतियां

3. सुश्री किरण चौधरी, सुश्री तनु चंडीओक और श्रीमती परवीन दीमन (2011)श्भारत में उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्तावादश:

4. मणि अरोड़ा, डॉ. अनिल कुमार सोनी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की भूमिकाउपभोक्ताओं की सुरक्षा, उभरते रुझानों के अंतर्राष्ट्रीय जर्नलविज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईएसएसएन 2348–9480 (2017)

5. के.डी. गौर, भारतीय दंड संहिता की पाठ्यपुस्तक, चौथा संस्करण, ूनिवर्सलकानून प्रकाशन सह। प्रा. लिमिटेड, 2013।

6. अग्रवाल, आर0सी0व्यावसायिक–संगठन, प्रशासन एवं प्रबन्ध, नवयुग साहित्य सदन, आगरा, 1682 . भारत में सहकारिता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश हिन्दी अकादमी, लखन0।

7. डॉ0 गुप्त, अम्बिा प्रसादरूअवस्थी,शैलेन्द्र रूउपभोक्ता संरक्षण विधि, नई दिल्ली

8. राव, के. मधुसूदन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पर मामले और सामग्री, एशिया लॉ हाउस, हैदराबाद, 2015

9. कल्पना वी. जवाले, चिकित्सा लापरवाही और दायित्व की न्यायिक व्याख्याउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, ऑनलाइन इंटरनेशनल के तहत डॉक्टरों ीसंख्याअंतःविषय अनुसंधान जर्नल, आईएसएसएन 2249–9598, खंड–प्प्, अंक–ट, सितम्बर, 2013

10. प्रो0 इन्दु कोटिल्य अर्थशास्त्र, राजपात एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रा. लिमिटेड, 2013।

11. बरोवालिया जे.एन., (2012) ष्उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पर टिप्पणी, यूनिवर्सल लॉ, पब्लिशिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड

12. लीलाकृष्ण, उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी नियंत्रण लखन0, पूर्वी पुस्तक (एन.डी)।